GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 19

TO BE ANSWERED ON THE 24TH JULY, 2024/ SRAVANA 2, 1946 (SAKA)

MONITORING OF FIRE SAFETY STANDARDS

***19 # SMT. MAHUA MAJI:**

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government has taken any strict stand towards tightening the safety standards and preventing negligence to avert the increasing incidents of fire in multi-storey building in the country, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(b) whether the Central Government proposes to provide assistance to the States to expand and modernize the fire services across the country;

(c) if so, the details thereof, State-wise; and

(d) if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI NITYANAND RAI)

(a) to (d): A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT IN REPLY TO PARTS (a) TO (d) OF THE STARRED QUESTION NO. 19*FOR ANSWER IN RAJYA SABHA ON 24.07.2024

Fire Services is a State subject and has been included as a Municipal function in the XII Schedule of the Constitution of India under Article 243 (W). It is the primary responsibility of the State Governments to take necessary measures for strengthening and equipping Fire Services and to avert the fire incidences in multi-storey buildings in the area of their jurisdiction. However, from time to time, advisories have been issued by Directorate General (Fire Services, Civil Defence and Home Guards) under Ministry of Home Affairs on 18.04.2017, 31.08.2017, 04.06.2019 and 02.08.2023 for prevention and fire safety measures in High rise buildings. In addition, many advisories have been issued to States for undertaking prevention and fire safety measures.

The Ministry of Housing and Urban Affairs have framed Model Building Bye Laws 2016, for guiding the States / UTs for revising their respective Building Bye Laws. It also contains a Chapter on fire protection and fire safety requirements which prescribes the norms and standards for fire protection. Its effective enforcement is in the domain of the States / UTs.

In addition, Bureau of Indian Standards had also published National Building Code of India, 2016. It covers the detailed guidelines for

construction, maintenance and fire safety of the structures. It also lays down a provision for Fire and Life Safety Audit for all buildings having a height of more than 15 meters.

The Central Government has launched a "Scheme for Expansion and Modernization of Fire Services in the States" on 04.07.2023 from the Preparedness and Capacity Building Funding Window under the National Disaster Response Fund (NDRF) for strengthening fire services in the States in the five years (2021-22 to 2025-26) with a total Central outlay of Rs. 5,000 Crore.

The State-wise details of funds allocated to the States under the scheme, on cost sharing basis, is annexed. The identified activities under the scheme have been broadly categorized under expansion of fire services and modernization of fire services in the States. The measures included in the scheme provides setting up of new fire stations, strengthening of State Training Centres and capacity building, provisions for modern fire-fighting equipment, strengthening of State Headquarters and Urban Fire Stations, technological upgradation and installation and augmentation of online system etc. In addition, an amount of Rs. 500 crore, out of the total outlay, is available to incentivize the States for adoption of legal and infrastructure based reforms.

*****

Annexure of the Rajya Sabha Starred Question No. 19* for 24.07.2024

Rs. In Crore

Sl. No	List of States	Central Share	State Share	Total Allocation
1	Andhra Pradesh	189.7	63.23	252.93
2	Arunachal Pradesh	57.57	6.39	63.96
3	Assam	96.73	10.74	107.47
4	Bihar	255.69	85.23	340.92
5	Chhattisgarh	110.82	36.94	147.76
6	Goa	31.63	10.54	42.17
7	Gujarat	254.27	84.75	339.02
8	Haryana	87.48	29.16	116.64
9	Himachal Pradesh	58.8	6.53	65.33
10	Jharkhand	111	37.00	148.00
11	Karnataka	247.42	82.47	329.90
12	Kerala	122.41	40.80	163.21
13	Madhya Pradesh	298.15	99.38	397.54
14	Maharashtra	461.61	153.87	615.48
15	Manipur	40.5	4.50	45.00
16	Meghalaya	39.94	4.43	44.37
17	Mizoram	36	4.00	40.00
18	Nagaland	36.05	4.00	40.05
19	Odisha	150.83	50.27	201.10
20	Punjab	98.67	32.89	131.56
21	Rajasthan	293.73	97.91	391.64
22	Sikkim	29.03	3.22	32.25
23	Tamil Nadu	280	93.33	373.33
24	Telangana	142.61	47.53	190.14
25	Tripura	38.15	4.23	42.38
26	Uttar Pradesh	577.43	192.47	769.90
27	Uttarakhand	71.03	7.89	78.92
28	West Bengal	282.57	94.19	376.76
	Total	4499.84	1387.99	5887.83

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 19
दिनांक 24 जुलाई, 2024 / 02 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

अग्नि सुरक्षा मानकों की निगरानी

***19# श्रीमती महुआ माजीः**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बहुमंजिला इमारतों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए अग्नि सुरक्षा मानकों को कड़ा करने और लापरवाही को रोकने की दिशा में कोई कड़ा रुख अपनाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या केन्द्र सरकार देश भर में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने का विचार रखती है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 24 जुलाई, 2024 को राज्य सभा में उत्तर के लिए तारांकित प्रश्न संख्या *19 के भाग (क) से (घ) के संबंध में विवरण।

अग्निशमन सेवाएं राज्य का विषय है और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (ब) के तहत बारहवीं अनुसूची में निगम कार्यों के रूप में शामिल किया गया है। यह राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्राधिकारों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत और सुसज्जित करने तथा बहुमंजिला इमारतों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें । तथापि, गृह मंत्रालय के अधीन,महानिदेशालय (अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड) द्वारा समय-समय पर,ऊंची इमारतों में अग्नि सुरक्षा और शमन के उपायों के लिए दिनांक 18.04.2017, 31.08.2017, 04.06.2019 और 02.08.2023 को सलाह जारी की गई है। इसके अलावा,अग्नि सुरक्षा और शमन के उपाय करने के लिए राज्य को कई सलाह जारी की गई हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्यों /केंद्रशासित प्रदेशों को उनके संबंधित भवन उपनियमों को संशोधित करने हेतु मार्गदर्शन के लिए मॉडल भवन उपनियम 2016 तैयार किया है। इसमें अग्नि सुरक्षा के लिए मानदंडों और मानकों को निर्धारित करने वाले अग्नि सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं पर एक अध्याय भी शामिल है। इसका प्रभावी प्रवर्तन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकार क्षेत्र में है।

इसके अलावा, भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 भी प्रकाशित किया था। इसमें संरचनाओं के निर्माण, रखरखाव और अग्नि सुरक्षा के लिए विस्तृत दिशानिर्देश शामिल हैं। इसमें अग्नि एवं जीवन सुरक्षा ऑडिट का प्रावधान भी है जो 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सभी इमारतों के लिए लागू होता है।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) के तहत तैयारी और क्षमता निर्माण फंडिंग विंडो से 5000 करोड़ रुपये के कुल केंद्रीय परिव्यय के साथ पांच वर्षों में (2021-22 से 2025-26 तक) राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए दिनांक 4 जुलाई 2023 को "राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजना" शुरू की है।

योजना के तहत लागत साझाकरण के आधार पर राज्यों को आवंटित धनराशि का राज्यवार विवरण संलग्न है। स्कीम के अंतर्गत चिन्हित गतिविधियों को मोटे तौर पर राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण में वर्गीकृत किया गया है। योजना में शामिल उपायों में नए फायर स्टेशनों की स्थापना, राज्य प्रशिक्षण केंद्रों और क्षमता निर्माण को मजबूत करना, आधुनिक अग्निशमन

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *19, दिनांक 24.07.2024

उपकरणों के लिए प्रावधान, राज्य मुख्यालय और शहरी फायर स्टेशनों को मजबूत करना, तकनीकी उन्नयन और ऑनलाइन प्रणाली की स्थापना और संवर्धन आदि शामिल हैं। इसके अलावा, कुल परिव्यय में से 500 करोड़ रूपये की राशि राज्यों को कानूनी और बुनियादी ढाँचा -आधारित सुधारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उपलब्ध हैं।

दिनांक 24 जुलाई, 2024 के लिए राज्यसभा तारांकित प्रश्न संख्या *19 का अनुलग्नक

करोड़ रु. में

क्र. सं.	राज्यों की सूची	केंद्रीय हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल आवंटन
1	आंध्र प्रदेश	189.7	63.23	252.93
2	अरुणाचल प्रदेश	57.57	6.39	63.96
3	असम	96.73	10.74	107.47
4	बिहार	255.69	85.23	340.92
5	छत्तीसगढ	110.82	36.94	147.76
6	गोवा	31.63	10.54	42.17
7	गुजरात	254.27	84.75	339.02
8	हरियाणा	87.48	29.16	116.64
9	हिमाचल प्रदेश	58.8	6.53	65.33
10	झारखंड	111	37.00	148.00
11	कर्नाटक	247.42	82.47	329.90
12	केरल	122.41	40.80	163.21
13	मध्य प्रदेश	298.15	99.38	397.54
14	महाराष्ट्र	461.61	153.87	615.48
15	मणिपुर	40.5	4.50	45.00
16	मेघालय	39.94	4.43	44.37
17	मिजोरम	36	4.00	40.00
18	नागालैंड	36.05	4.00	40.05
19	ओडिशा	150.83	50.27	201.10
20	पंजाब	98.67	32.89	131.56
21	राजस्थान	293.73	97.91	391.64
22	सिक्किम	29.03	3.22	32.25
23	तमिलनाडु	280	93.33	373.33
24	तेलंगाना	142.61	47.53	190.14
25	त्रिपुरा	38.15	4.23	42.38
26	उत्तर प्रदेश	577.43	192.47	769.90
27	उत्तराखंड	71.03	7.89	78.92
28	पश्चिम बंगाल	282.57	94.19	376.76
	कुल	4499.84	1387.99	5887.83

******

श्रीमती महुआ माजी: माननीय सभापति महोदय, देश में बढ़ती अगलगी की घटनाओं से लगातार निर्दोष लोगों के जान-माल की क्षति होती जा रही है। गुजरात के राजकोट के गेम जोन में लगी आग से 27 निर्दोष लोगों की जान चली गई। दिल्ली के विवेक विहार स्थित baby care centre में सात नवजात शिशुओं की मौत हो गई। सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली की ही बात करें, तो नवभारत टाइम्स में...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Your supplementary!

SHRIMATI MAHUA MAJI: Yes, Sir. इस बार गर्मियों में 50 दिनों में 4,000 ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Madam, please ask your supplementary.

SHRIMATI MAHUA MAJI: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: You are giving facts. Ask your supplementary.

श्रीमती महुआ माजी: हमारे देश के छोटे-बड़े, अगड़े-पिछड़े तमाम राज्यों के शहरों में बहुत तेजी से बहुमंजिला भवनों का निर्माण हो रहा है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you are reading.

SHRIMATI MAHUA MAJI: This is my question, Sir.

MR. CHAIRMAN: Please ask your supplementary.

श्रीमती महुआ माजी: क्योंकि अग्निशमन विभाग direct Ministry of Home Affairs के अंडर आता है, तो आप यह कहकर कि यह स्टेट का अफेयर है, अपनी जिम्मेदारी स्टेट पर ही नहीं डाल सकते। मेरा सवाल यह है कि...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: What is your supplementary, Madam?

SHRIMATI MAHUA MAJI: Yes, Sir. अत्याधुनिक अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्टेट अग्निशमन कर्मचारियों के लिए कितनी स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था केंद्र की पहल पर पिछले दो वर्षों में की गई है?...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Madam, I will have to ask... I am afraid, don't force me. What is your supplementary? Please rise and ask supplementary.

श्रीमती महुआ माजीः सर, मेरा यही सवाल है।

श्री सभापतिः मैडम, पहले एक सवाल पूछ लीजिए, फिर दूसरा सवाल भी आ जाएगा।

श्रीमती महुआ माजीः सर, यही पहला सवाल है कि अत्याधुनिक अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्टेट अग्निशमन कर्मचारियों के लिए कितनी स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था केंद्र की पहल पर पिछले दो वर्षों में की गई है?

MR. CHAIRMAN: Madam, I expect a better supplementary. Please go ahead, hon. Minister.

श्री नित्यानन्द रायः महोदय, आपदा प्रबंधन राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय अपनी जिम्मेवारियों से भागते नहीं हैं। जो भी नुकसान होता है, वह भारत देश के लोगों का होता है और हम सब मिलकर आपदा के प्रबंधन में एक साथ काम करें, इस नीति से हम सब काम करते हैं और राज्यों के साथ हम अच्छे से कोऑर्डिनेशन करते हैं। सर, जहां तक अग्निशमन का विषय है, तो पहले भी राज्यों से अनुरोध किया गया है और एक मॉडल अग्निशमन बिल लाया गया है, जिसके तहत अग्निशमन सेवाओं की बदहाली और बढ़ती हुई भूमिका को ध्यान में रखते हुए केंद्र तथा राज्यों के मार्गदर्शन के लिए एक संशोधित मॉडल अग्निशमन बिल, 2019 में लाया गया था। इस बिल के बारे में हम इसलिए कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुमंजिला बिल्डिंगों के विषय में कहा गया है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि कितनी ट्रेनिंग और किस प्रकार से हम उनकी मदद कर रहे हैं। एक बार हम मॉडल बिल के संबंध में यहां जानकारी दे देना मुनासिब समझते हैं। इस बिल में भवनों, संरचनाओं के निवारक उपाय, अग्नि सुरक्षा उपायों का प्रर्वतन जैसी बहुमंजिला इमारतें, जो 15 मीटर की ऊचांई के लिए अनिवार्य हो, प्रावधान आग बुझाने के लिए स्वचालित sprinkler system, fire alarm और अग्निशामक यंत्रों की व्यवस्था के प्रावधान का आग्रह किया गया है। इसमें आग से होने वाली दुर्घटनाओं के मामलों को ध्यान में रखते हुए बहुमंजिला और विशेष भवनों के उपप्रबंध किए गए हैं।

महोदय, नागपुर में भारत सरकार के गृह मंत्रालय का एक एनएफएससी सर्विस कॉलेज है, जिसने पिछले पांच वर्षों में 2,274 अग्निशमन सेवाओं अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है और 300 से अधिक बी.टेक इंजीनियर्स तैयार किए हैं। पिछले पांच वर्षों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और डिग्री कार्यक्रमों में भागीदारी भी बढ़ाई है। सर, बी.टेक इंजीनियर्स का, डिवीजनल अधिकारी का, स्टेशन अधिकारी का और एसओ एवं उपअधिकारियों का का विवरण अलग-अलग है और जो टेबल है, तो वह टेबल हम आपको प्रस्तुत कर देंगे। इसमें जो अग्निशमन का मॉडल बिल है, उसको अभी तक दस राज्यों ने अपनाया है और 17 राज्य इस प्रक्रिया में आ गए हैं। लेकिन जहाँ से माननीय महोदया आती हैं, वह झारखंड राज्य अभी तक इस पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। महोदय, मेरा इनसे आग्रह है इस मॉडल अग्निशमन बिल को ध्यान में रखते हुए एक बार अपनी राज्य सरकार से कहें, ताकि अग्निकांड से वहाँ पर कोई नुकसान न हो, इसलिए इस मॉडल बिल

को वहाँ अपनाएं - महोदय, मेरा उनसे ऐसा आग्रह है। माननीय गृह मंत्री जी भी खुद इसके लिए कई बार आग्रह कर चुके हैं। 2023 में जो बैठकें हुई थीं, उन्होंने उनमें भी आग्रह किया था।

महोदय, 2023 के छठे माह में बैठक हुई थी, सातवें माह में माननीय गृह मंत्री द्वारा सभी मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे गए थे। सभापति महोदय, मेरा माननीय महोदया से निवेदन है कि एक बार अपने प्रांत में मॉडल अग्निशमन बिल को अपनाने की और उसके प्रावधानों में आने की कृपा करें।

MR. CHAIRMAN: Ask your second supplementary.

श्रीमती महुआ माजी: सभापति महोदय, मेरा दूसरा सवाल यही था कि दुर्घटना कम करने हेतु कब-कब उच्च स्तरीय बैठकें हुई हैं, उसकी एक डिटेल उपलब्ध कराई जाए।

श्री नित्यानन्द राय: सभापति महोदय, माननीय सदस्या उच्च स्तरीय बैठकों के बारे में प्रश्न पूछ रही हैं, इसके लिए मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बहुत बार बैठकें हुई हैं। एक बार घटनाओं में कमी आए, आपदा प्रबंधन ठीक से हो, इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने दस सूत्रीय एजेंडा, 2016 में नई दिल्ली में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन में जो एजेंडा दिया था, हम उस पर साल में कई बार बैठते हैं और कई स्तर पर बैठते हैं। हम वहाँ पर मंत्री स्तर पर भी बैठते हैं और इसमें हमारे सचिव भी बैठते हैं। ये घटनाएं कम करने के लिए प्रधान मंत्री जी ने जो सूत्र दिए थे, वह एक समावेशी एजेंडा है, जिससे महिलाओं की सहभागिता हो। हमारे पास जो लोकल संसाधन हैं, उनका डेटा और समय पर उस डेटा का उपयोग, "आपदा मित्र" के लिए 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए लिया गया था, जिसकी ट्रेनिंग लगभग पूरी हो गई है। हमने यहाँ पर alert system रखा है। महोदय, जो common alert system है, जो निश्चित रूप से आपदाओं को पहले alarm करता है, हम उस पर काम करते हैं। न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन - महोदय, आपदा पर प्रश्न पूछा है, सिर्फ अग्निशमन पर नहीं पूछा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री जी द्वारा आपदा प्रतिरोधी संरचना संगठन, सीडीआरआई का शुभारंभ भी किया गया। अभी तक उनतालीस देश और सात अन्य संगठन इसके सदस्य बने हैं, जो भारत के आपदा प्रबंधन और दृष्टिकोण के संबंध में एक बड़ी उपलब्धि है।

महोदय, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा अधिक और कम बाढ़ वाले क्षेत्र का एटलस जारी किया गया है। चक्रपात जोखिम शमन और मोचन के लिए एक वेबसाइट आधारित Dynamic Composite Risk Atlas एवं Decision Support System विकसित किया गया है। गृह मंत्रालय के तहत Standing Fire Council की बैठक हर साल की जाती है, जिसमें सभी राज्यों के अग्नि सेवा अध्यक्ष भाग लेते हैं। जो फायर से संबंधित संस्थाएं हैं, वे सभी इसमें भाग लेती हैं। महोदय, मैं इनसे यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो सिस्टम यहाँ पर अपनाया गया है, उसमें हमें बहुत सारी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं और आपदा प्रबंधन के लिए सरकार ने उसके प्रबंधन में राशि को भी महत्व दिया है। ....(**व्यवधान**)... महोदय, मैं लास्ट बात बताना चाहता हूं। ....(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Shri Sanjay Singh, third supplementary. You have given a very comprehensive answer, a very comprehensive answer.

श्री संजय सिंह: सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अलाऊ कर दिया है। सर, उन्होंने कहा है कि अग्निशमन राज्यों का विषय है और माननीय मंत्री जी ने 28 राज्यों का ब्योरा दिया है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या देश की राजधानी दिल्ली में नागरिक नहीं रहते हैं, क्या देश की राजधानी दिल्ली में अग्निशमन सेवा के लिए आपकी ओर के किसी तरह के सहयोग की कोई जरूरत नहीं है, क्या आप दिल्ली के नागरिकों को नागरिक नहीं समझते हैं?

श्री नित्यानन्द राय: सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि हम अपनी जिम्मेवारी से भागते नहीं हैं, लेकिन यह राज्य का विषय है और हम उन्हें सहयोग करते हैं। सर, हम राज्यों को कैसे सहयोग करते हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। अभी मैं यही बता रहा था कि किस प्रकार से 33,581 करोड़ के वित्तीय प्रावधान को बढ़ाकर 4 गुना किया गया है...

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet at 2.00 p.m.